राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

बी.ए., बी.पी.ए.,एम.पी.ए. एवं डिप्लोमा प्रोग्राम अध्यादेश :-

1. बी.पी.ए. तथा बी.ए. में प्रवेश के लिए योग्यता 10+2 है। (प्रवेश परीक्षा भी हो सकती है)
2. **बी.पी.ए. चार वर्षीय/एम.पी.ए. दो वर्षीय इण्टीग्रेटेड प्रोग्राम है इसलिए 2018 से** आगामी **तीन सत्र के बाद त्रिवर्षीय बी.म्यूज या बी.ए. संगीत के विद्यार्थी सीधे एम.पी.ए. में प्रवेश नहीं ले सकेंगे, त्रिवर्षीय बी.म्यूज या बी.ए. संगीत के बाद एक वर्ष का ब्रिज कोर्स एडवांस डिप्लोमा के रूप में करना होगा या एडवांस डिप्लोमा के समकक्ष कोई डिप्लोमा ।**अन्यथा एम.ए. संगीत में प्रवेश ले सकते हैं।(प्रवेश परीक्षा भी हो सकती है)
3. केवल त्रिवर्षीय बी.म्यूज पूर्व के विद्यार्थीयों के लिए 2018 से आगामी तीन सत्रों तक की छूट है ऐसे विद्यार्थी सीधे एम.पी.ए. में प्रवेश ले सकतें हैं।
4. अन्य किसी विषय से स्नातक + राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला वि .वि.ग्वालियर से सर्टिफिकेट,डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या अन्य कोई संगीत में स्नातक स्तर डिप्लोमा के बाद एम.ए.संगीत में प्रवेश संभव है , ऐसे योग्यता वाले विद्यार्थियों का एम .पी.ए.में प्रवेश नहीं हो सकता। (प्रवेश परीक्षा भी हो सकती है)
5. जब तक पूरे भारत में बी.पी.ए.लागू न हो जाय तब तक एम.ए.संगीत कोर्स चलते रहने की आवश्यकता है।
6. सर्टिफिकेट इन परफार्मिंग आर्ट (C.P.A.) में प्रवेश की योग्यता 10+2 एवं डिप्लोमा इन परफार्मिंग आर्ट (D.P.A.) में प्रवेश की योग्यता 10+2+सर्टिफिकेट इन परफार्मिंग आर्ट (C.P.A.) या प्रवेशिका सर्टिफिकेट इन परफार्मिंग आर्ट अंतिम (P.C.P.A.) तथा एडवांस डिप्लोमा इन परफार्मिंग आर्ट (A.D.P.A.) में प्रवेश की योग्यता 10+2+डिप्लोमा इन परफार्मिंग आर्ट (D.P.A.) या मध्यमा डिप्लोमा इन परफार्मिंग आर्ट (M.D.P.A.) अंतिम।
7. प्रवेशिका सर्टिफिकेट इन परफार्मिंग आर्ट (P.C.P.A.) में प्रवेश की योग्यता 3 पास होगी और मध्यमा डिप्लोमा इन परफार्मिंग आर्ट (M.D.P.A.) में 3 पास+प्रवेशिका सर्टिफिकेट इन परफार्मिंग आर्ट (P.C.P.A.),इसी प्रकार मध्यमा डिप्लोमा इन परफार्मिंग आर्ट (M.D.P.A.) के बाद विद डिप्लोमा इन परफार्मिंग आर्ट (V.D.P.A.) और विद डिप्लोमा इन परफार्मिंग आर्ट (V.D.P.A.)के बाद कला रत्न डिप्लोमा इन परफार्मिंग आर्ट(K.R.D.P.A) ।
8. बी.ए. एवं बी.पी.ए.इलेक्टिव सब्जेक्ट(वैकल्पिक विषय)का चुनाव करने से पहले विद्यार्थी को यह पता लगाना होगा की सम्बंधित विषय की ब्यवस्था या शिक्षक विश्व विद्यालय /महाविद्यालय में उपलब्ध है या नहीं क्योंकि समय समय पर शासन की ब्यवस्था के अनुसार विषय एवं शिक्षकों की ब्यवस्था बदलती रहती है।

9. कोर विषय के साथ इलेक्टिव विषय में से कोई एक विषय पढ़ना होगा लेकिन यह वैकल्पिक विषय है इस लिए विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष इलेक्टिव विषय बदलना होगा केवल तीन वर्ष तक ही इलेक्टिव विषय पढ़ना है चौथे वर्ष में इलेक्टिव विषय नहीं होगा।

10. बी.पी.ए.के इलेक्टिव विषय में केवल प्रायोगिक कक्षाएं एवं परीक्षाएं होगीं लेकिन थ्योरी की भी सामान्य मौखिक जानकारी दी जाएगी तथा इसके साथ साथ तीन सत्रों में से किसी भी एक सत्र में एन.एस.एस.,एन.सी.सी.,योग,शारीरिक शिक्षा आदि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में से किसी एक में कम से कम एक कैम्प करना अनिवार्य है नहीं तो प्रायोगिक परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी।

11. ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट जिसकी ब्यवस्था विश्व विद्यालय/महाविद्यालय में नहीं है तो विद्यार्थी प्राईवेट में भी जितने क्रेडिट का विषय है उतने ही क्रेडिट क्लास करने के बाद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके परीक्षा में बैठ सकता है। जैसे - **म्यूजिक थैरेपी**/इंस्ट्रूमेंट मेकिंग/साउंड इंजीनियरिंग/साउंड आपरेटर आदि। इंस्ट्रूमेंट मेकिंग किसी इंस्ट्रूमेंट मेकर के पास जाकर विद्यार्थी सीख सकता है। उसी प्रकार किसी रिकोर्डिंग स्टूडियो में जाकर साउंड इंजीनियरिंग भी सीख सकता है ,और साउंड आपरेटर तो विश्व विद्यालय में है ही, और कई महाविद्यालयों में भी है ,नहीं है तो इसको भी किसी साउंड आपरेटर से सीख सकते है।

12. समस्त विषयो में 100 प्रतिशत का पूर्णांक मान कर मुल्यांकन करना होगा क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में मूल्यांकन की सुविधा के लिए केवल अंको का सहारा मात्र है, इस सिस्टम में क्रेडिट महत्वपूर्ण है।

13. स्वाध्यायी और नियमित के पाठ्यक्रम एक ही होंगे आन्तरिक मूल्यांकन केवल नियमित विद्यार्थियों के होंगे स्वाध्यायी के पूर्णांक पूरे 100% होंगे।

14. एंड टर्म में नियमित और स्वाध्यायी परीक्षा प्रश्न पत्र एक ही होंगे जिसमे 80 अंक नियमित एवं 100 अंक स्वाध्यायी के लिए अंकित होगा और अंक विभाजन का ध्यान रखते हुए प्रत्येक प्रश्न (नियमित एवं स्वाध्यायी का)अंक मान पृथक-पृथक रखना होगा।

15. एम.पी.ए. के समस्त कोर्स सेमेस्टर सिस्टम से हैं और नियमित एवं स्वाध्यायी का पाठ्यक्रम एक ही है , अर्थात परीक्षा भी एक ही साथ होगी, इसलिए स्वाध्यायी के आवेदन सेमेस्टर (एंड टर्म) परीक्षा से पूर्व ही भरा जाना आवश्यक है , और स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी नियमित की ही भांति वर्ष में दो बार परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर आना होगा, केवल अंतर बस इतना है कि स्वाध्यायी विद्यार्थियों का नियमित की भांति आन्तरिक मूल्याङ्कन नहीं होगा ।

16. विषय कोड के अंक में कोर्स का वर्ष एवं पेपर काउंटिंग छिपी है। जैसे- उक्त C1-BMVI-407, C1= कोर फर्स्ट सब्जेक्ट थ्योरी, बी= बैचलर, M= म्यूजिक V= वोकल, I= इंस्ट्रुमेंटल, 4= चतुर्थ वर्ष, 0 = कुछ नहीं, 7 = सातवाँ पेपर आदि इसी प्रकार समस्त कोड को समझा जाना है।

17. पेपर काउंटिंग प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक के क्रम में की गयी है जो थ्योरी और प्रायोगिक की पृथक पृथक है यह विषय कोड द्वारा ही पता चलेगा जैसे- C2-MMVI-101, C2= कोर सेकेण्ड सब्जेक्ट टेक्निक (प्रायोगिक), M= मास्टर M= म्यूजिक V= वोकल, I= इंस्ट्रुमेंटल, 1= प्रथम वर्ष 0= कुछ नहीं, 1= प्रथम

पेपर I इस प्रकार बी.पी.ए. प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक कोड द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कुल कितने प्रायोगिक,थ्योरी,इलेक्टिव,तथा आधार पाठ्य क्रम हैं I अर्थात चार वर्ष में कुल 8 म्यूजिक थ्योरी, 9 म्यूजिक प्रायोगिक, 4 इलेक्टिव, 9 आधार पाठ्यक्रम पढ़ना होगा जो कि विषय कोड द्वारा आसानी से समझ सकते है।

18. नियमित विद्यार्थियों के लिए 20% का आन्तरिक मूल्यांकन होगा जिसमे से 05% अंक उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा I जैसे- अगर 50% उपस्थिति है तो 2.5 अंक या 70% उपस्थिति है तो 3.5 अंक अथवा 100% उपस्थिति है तो 05 अंक इसी प्रकार अंक निर्धारण किये जायेगे और शेष 15% अंक में लिखित या मौखिक परीक्षा ले सकते है लेकिन उसका प्रमाण रखना अनिवार्य होगा जिसमे विद्यार्थी का संस्था और शिक्षक के प्रति ब्यवहार कैसा है उसके अनुसार ही परीक्षा अंक दिया जायेगा इसी लिए इसे आन्तरिक मूल्यांकन कहते हैं I

19. आन्तरिक मूल्यांकन और विद्यार्थियों की उपस्थिति सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रमाण के लिए आन्तरिक परीक्षा के परिणाम के साथ संलग्न करके परीक्षा विभाग में भेजना अनिवार्य है अन्यथा आतंरिक मूल्यांकन के अंक मान्य नहीं होंगे I आन्तरिक मूल्यांकन 6 माह बाद संपन्न होंगे लेकिन इनके अंक एंड टर्म की प्रायोगिक परीक्षा के बाद परीक्षा विभाग को भेजना होगा ,क्योंकि विद्यार्थियों की उपस्थिति का अंक अंत में ही कल्कुलेट कर सकते हैं ,नहीं तो विद्यार्थी मिड टर्म के बाद अनुपस्थित हो सकता है ।

20. बी.पी.ए.प्रोग्राम तीन खंडो में बांटा गया है खंड अ मुख्य विषय (कोर सब्जेक्ट) एवं खंड ब वैकल्पिक(इलेक्टिव)है और खंड स आधार पाठ्यक्रम (**फाउन्डेशन कोर्स**) अनिवार्य है I

21. सैध्यान्तिक प्रश्न पत्रों के जितने क्रेडिट उतने ही घंटे की कक्षा होगी लेकिन प्रायोगिक में दोगुना घंटे की कक्षा होगी जैसे- सैध्यान्तिक 3 क्रेडिट का है तो 3=3 ही घंटे की कक्षा होगी, लेकिन प्रायोगिक में 3=6 घंटे की कक्षा होगी।

22. बी.पी.ए. एवं बी.ए. के एक सत्र (वर्ष) में ३६ सप्ताह यानि 216 दिन कक्षाए संचालित होंगी जिसमे समस्त प्रश्न पत्रों के क्रेडिट पूरा करना आवश्यक है।

23. एम.पी.ए. में एक सेमेस्टर में 15 वीक यानि 90 दिन की कक्षाएं होंगी क्योकि सत्र में चार बार परीक्षा तथा मूल्यांकन एवं रिजल्ट आदि की वजह से पठन पाठन का कार्य बाधित होता है इस लिए समय की कमी के कारण केवल 15 वीक ही कक्षाएं चल पाती है।

24. विद्यार्थी अगर अनुपस्थिति की स्थिति में क्रेडिट पूरा नहीं पढ़ पाता है तो जितने घंटे अथवा क्रेडिट शेष रह जायेंगे उतने घंटे अथवा दिन का ट्यूशन फ़ीस विशेष अनुमति से विश्व विद्यालय को जमा करके अतिरिक्त कक्षाएं करके क्रेडिट पूरा पढ़ना अनिवार्य है अन्यथा विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो जायेगा I

25. चुकी बी.पी.ए.गायन एवं स्वर वाद्य का पाठ्यक्रम एक ही है इस लिए अंक पत्र में बी .पी.ए.इन वोकल, बी.पी.ए.इन स्वर वाद्य सितार,बी.पी.ए. इन स्वर वाद्य गिटार आदि जो भी विषय हो वो साफ साफ अंकित होना अनिवार्य है I इसी प्रकार एम.पी.ए.प्रोग्राम में भी अंकित होना अनिवार्य है I

26. इसी प्रकार बी .ए. संगीत के प्रोग्राम में कोर -1 विषय में से किसी भी एक विषय को विद्यार्थी चुनेगा और उसके चुनाव के अनुसार उसके मार्क शीट में बी .ए. वोकल, बी.ए. स्वर वाद्य (सितार,गिटार,वायोलिन,बासुरी इत्यादि), बी.ए. कथक, बी.ए. थियेटर, बी.ए. भरतनाट्यम, बी .ए. पेंटिंग आदि अंकित रहना अनिवार्य है।

27. बी.ए.एवं बी .पी.ए. के संगीत और ललित कलाओं का सैध्यान्तिक प्रश्न पत्र एक ही होगा अंतर बस इतना होगा कि बी .ए. प्रत्येक वर्ष में प्रायोगिक प्रश्न पत्र केवल एक होगा वायवा, जो बी .ए. & बी.पी.ए.दोनों का कॉमन होगा परन्तु बी .पी.ए.के प्रत्येक वर्ष में प्रायोगिक के दो प्रश्न पत्र होंगे (वायवा एवं मंच के रूप में)।

28. बी.पी.ए.अंतिम वर्ष एवं एम .पी.ए.में प्रायोगिक प्रश्न पत्र तीन होंगे वायवा ,मंच और तीसरा लेक्चर **डेमोन्सट्रेशन** (लेक्डेम) के रूप में होगा जिसमे विद्यार्थी अपनी कला से सम्बन्धित किसी भी शीर्षक (जैसे- शास्त्रीय संगीत ,उप शास्त्रीय संगीत ,टप्पा,रविन्द्र संगीत ,लोक संगीत , लोक नृत्य ,लोक वाद्य, चित्रपट संगीत ,म्यूजिक लेसन प्लान आदि) पर लेक्चर के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करेगा (पी.पी.टी.के साथ भी प्रदर्शन कर सकता है) जिससे विद्यार्थियों का कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) और भविष्य में शोध आदि कार्य करने में यह प्रश्न पत्र वैज्ञानिक एवं सहायक सिद्ध होगा। लेक्चर **डेमोन्सट्रेशन** तैयार करने के लिए विभिन्न किताबों का अध्ययन करके बुक रिफरेन्स के साथ नोट्स बनाना होगा जिसकी एक प्रति अपने कक्ष अध्यापक के पास जमा करना अनिवार्य है।

29. त्रिवर्षीय एवं दो वर्षीय कोर्सों में ए .टी.के.टी.के आधार पर विद्यार्थी अगर किसी भी दो विषयों में फेल होता है तो बैक पेपर (पूर्वक परीक्षा) के रूप में पूर्व की परीक्षा में सम्मिलित होगा। जैसे-प्रथम वर्ष में विद्यार्थी दो विषय में फेल होगा तो द्वितीय वर्ष में प्रोविज़नल प्रवेश ले सकता है और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के साथ-साथ उक्त दो विषयों के बैक पेपर की परीक्षा में भी प्रथम वर्ष की परीक्षा के साथ बैठना होगा। फिर भी विद्यार्थी अगर किसी विषय में फेल होता है तो तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा, एक वर्षीय प्रोग्राम में यह सुविधा नहीं होगी।

30. समस्त कोर्सों में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या के अनुसार मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नियम लागू होगें।

31. बी.पी.ए. एवं बी.ए. संगीत गायन एवं स्वर वाद्य में पृथक-पृथक 50-50 सीटें होगीं।

32. एम.पी.ए./ एम.ए. संगीत गायन एवं स्वर वाद्य में पृथक-पृथक 30-30 सीटें होगीं।

33. सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा स्तर के सभी विधाओं में 50-50 सीटें होगीं।

34. स्कूल स्तर के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सीट निर्धारण नही किया गया है ।

35. सम्बंधित पाठ्यक्रमों में सीट फुल होने के पश्चात् 10% सीट स्वयं ही बढ़ जाएँगी, इसके बाद सशुल्क (पेड) सीट में प्रवेश की संभावना बन सकती है।

36. समस्त सम्बंधित महाविद्यालयों को अध्यादेश के नियमों का पालन करना होगा,नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा ।

37. अवनद्य वाद्यों (तबला पखावज एवं मृदंगम) के समस्त पाठ्यक्रम (इलेक्टिव या सर्टिफिकेट) अवनद्य वाद्य विभाग से ही संचालित होगें,यही नियम सभी विभागों के लिए लागू होगें।

38. भाषा संकाय के अंतर्गत सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन योग मेडिटेशन एवं सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लिकेशन (C.C.A.) तथा सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ,सर्टिफिकेट इन मराठी लैंग्वेज कोर्स संचालित हो सकते हैं । विश्वविद्यालय के वेबसाइट में भाषा संकाय के अंतर्गत सर्च करते रहें।

39. म्यूजिक थेरपी,योग,वेस्टर्न म्यूजिक आदि कोर्सों में थ्योरी की परीक्षा प्रोजेक्ट के आधार पर होगी इसमें सभी यूनिट से शीर्षक दिए जायेंगे ,जिसका मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा के साथ बाह्य परीक्षक द्वारा कराया जायेगा।

40. पाठ्यक्रम अध्यादेश में किसी भी प्रकार की समस्या या आपत्ति है तो थ्रू प्रोपर चैनल सर्व प्रथम विश्वविद्यालय को लेख करें, समय-समय पर समय की मांग एवं आवश्यकता अनुसार संशोंधन करके वेबसाइट पर अपलोड होते रहेगें, अगर विश्वविद्यालय में कोई सुनवाई नहीं होती है तभी शासन को लेख करें अन्यथा थ्रू प्रोपर चैनल कार्य नहीं करने पर नियम विरुद्ध माना जायेगा।

Syllabus Designed By Dr. Sanjay Kumar Singh **H.O.D**